केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 08.01.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/12
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00012
CICOM/R/2017/01411

अपीलकर्ता : डॉ0 अशोक कुमार पराशर,
ए-11, विद्युत नगर,
जनार्दन सिंह गहलोत के बंगले के पास,
अजमेर रोड जयपुर,
राजस्थान- 302021.

निर्णय की तारीख : 08.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.11.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.11.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.11.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से संचिका सं. CIC/DGAAR/C/2017/121080/SD की विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अवसर नहीं दिए जाने संबंधी निर्णय की प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के निर्णय सं. CIC/DGAAR/C/2017/121080/SD की प्रति उपलब्ध करवाने के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि श्री एच. पी. सेन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना को ठीक प्रकार से समझ नहीं सके । अत: श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन का ठीक से अवलोकन करें तथा संचिका सं. CIC/DGAAR/C/2017/121080/SD की विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अवसर नहीं दिए जाने से संबंधित सूचना इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
09 JAN 2018
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।